

ORDER SHEET [Contd]

विशेष विद्युत प्र0क0116 / 2016.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.4.2018	<p><u>नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018</u></p> <p>परिवादी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री गोहद शहर श्री अजय उमाले सहित श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।</p> <p>अभियुक्त कासिम खां स्वयं उपस्थित।</p> <p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ।</p> <p>प्रकरण में परिवाद विद्युत विभाग द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के तहत पेश किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित धारा 152 विद्युत अधिनियम के तहत आवेदन पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत उर्जा की राशि व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है तथा उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि उनके मध्य स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। अतएव लोक अदालत में उक्त प्रकरण समाप्त किया जावे।</p> <p>सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।</p> <p>विचारोपरांत धारा 152 विद्युत अधिनियम का आवेदन उचित होने से स्वीकार कर राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को उक्त धारा 135(1)क विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये। आगामी तिथि निरस्त हो।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है/नष्ट हो।</p> <p>आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदाय हो।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(सुनील कांकर एड.) (धर्मेन्द्र कुमार पांडे एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी ख0पी0क0-21 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0</p>	<p>परिवादी पक्ष</p> <p>अभियुक्त पक्ष</p>